न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010028452024

Sessions Case/375/2024
State of U.P. Vs. Junaid@Chhote

सरकार बनाम जुनैद उर्फ छोटे आदि

मु0अ0सं0 49/2024

अन्तर्गत धारा– 452,342,506,376(3) भा0द0सं0 4(2) पोक्सो एक्ट ,3(2)**(v),**3(2)**(va)** एस0सी0एस0टी0 एक्ट

थाना हाफिजपुर ,जिला– हापुड़।

02.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जुनैद उर्फ छोटे की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 02.04.2026 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त जुनैद उर्फ छोटे की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 02.04.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद की पत्रावली में पिछली तिथि को साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' की साक्ष्य/जिरह हेतु नियत थी , परन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता तबियत खराब होने के कारण साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' से जिरह न कर सके तथा न्यायालय द्वारा उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । यदि अभियुक्त के अधिवक्ता को जिरह का अवसर प्रदान न किया गया, तो अभियुक्त को काफी हानि होगी , अतः साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सख्त आपत्ति है । वाद को विलम्बित करने की नीयत से प्रार्थनापत्र दिया गया है । अतः उपरोक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रार्थनापत्र साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' को साक्ष्य/जिरह हेतु तलब किये जाने हेतु इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद की पत्रावली में

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.04.03 11:13:06 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

पिछली तिथि को साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' की साक्ष्य/जिरह हेतु नियत थी , परन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता तबियत खराब होने के कारण साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' से जिरह न कर सके तथा न्यायालय द्वारा उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । यदि अभियुक्त के अधिवक्ता को जिरह का अवसर प्रदान न किया गया, तो अभियुक्त को काफी हानि होगी , अतः साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' को जिरह हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है ।

यद्यपि अभियुक्त का यह आचरण अत्यन्त लापरवाही पूर्ण दर्शित होता है , परन्तु प्रकरण के गुण दोष पर प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु उक्त साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' से जिरह का अवसर दिया जाना व साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अभियुक्त जुनैद उर्फ छोटे की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 02.04.2026 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जुनैद उर्फ छोटे की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 02.04.2026 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' से जिरह का अवसर प्रदान किया जाता है। साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' जिरह हेतु तलब हो। पत्रावली साक्षी पी०डब्लू0–2 पीडिता ''ए'' से जिरह हेतु दि0 06.04.2026 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।